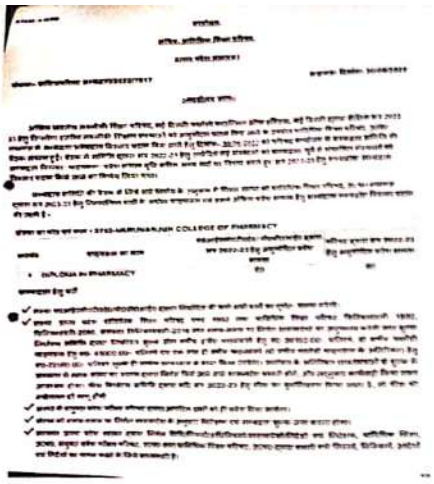

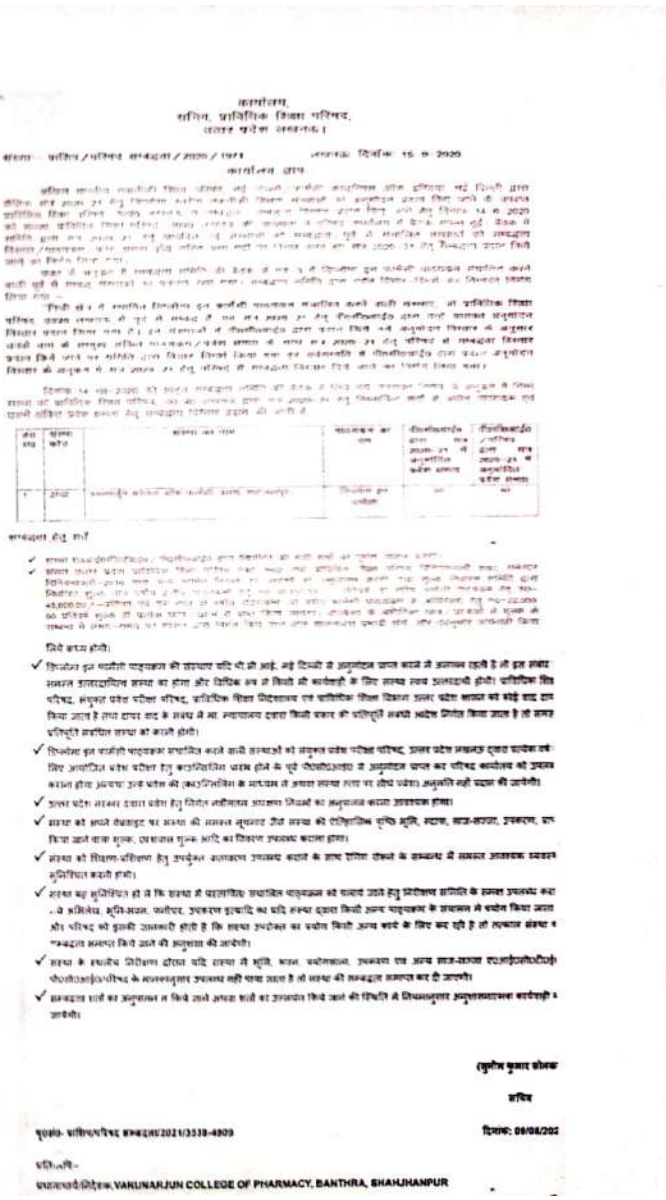

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538 दिनांक: 15 सितम्बर 2020

कार्यालय ज्ञाप

प्राविधिक शिक्षा परिषद, अधिनियम, 1962, तथा तत्संबंधी विनियमावली, 1992, डी0फार्मेसी विनियमावली-2014 तथा समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा निर्गत शासनादेश/परिषदीय आदेश/निर्देश के अनुपालन में संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की पूर्व से सम्बद्ध है तथा सत्र 2020-21 हेतु डी0फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित कराने हेतु संस्था को सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक दि 14 से 15 सितम्बर 2020 को हुई। निर्धारित प्रपत्र पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्नक, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की पूर्व से सम्बद्ध है तथा सत्र 2020-21 हेतु डी0फार्मेसी/बी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित कराने हेतु संस्था को सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

डी0फार्मेसी एवं बी0 फार्मेसी विनियमन हेतु कार्यरती पाठ्यक्रमक संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की पूर्व से सम्बद्ध हैं तथा सत्र 2020-21 हेतु डी0फार्मेसी/बी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित कराने हेतु संस्था को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में डी0फार्मेसी/बी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम में अनुसार प्रवेशों हेतु की जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2015 को पारित आदेश के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत किये जाने पर सहमति व्यक्त किया गया था तदनुसार डी0फार्मेसी/बी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया अनुपालन हेतु संस्था को सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14 एवं 15 सितम्बर 2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में पारित गये निर्णयानुसार विस्तार हेतु प्रस्तुत की गयी संस्था का प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 का सम्बद्धता प्रदान सत्र 2020-21 हेतु निम्नवत शर्तों के अधीन सशर्तात्मक एवं तदनुसार अग्रिम प्रवेश हेतु सम्बद्धता निरस्त की जाती है।

क्रम संख्या	मूल्यांक कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	डी0फार्मेसी/बी0 फार्मेसी सत्र 2020-21 में प्रवेश अनुमोदित	डी0फार्मेसी/बी0 फार्मेसी सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	2760	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] द्वारा निर्गत की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित फीस 45,000.00 (पैंतालीस हजार रूपये मात्र) एवं अन्य शुल्क 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) शुल्क से अधिक शुल्क न तो प्रवेश के समय में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की फीस पूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था फीसपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा घोषित वर्ष लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उक्त प्रवेश को (काउंसिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर होने वाले) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रत्येक पाली/सत्र संस्था द्वारा प्रवेश हेतु नियत न्यूनतम आवश्यक शिक्षकों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेक्चरहाट पर संस्था की समस्त न्यूनतम टीचर संस्था की ऐतिहासिक वृत्तिका भूमि, स्थापना, खाद-सरकार, उपकरण, छात्र विकास आदि का शुल्क, एकमुश्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त अनावरण उपलब्ध कराने के साथ ही साथ छात्रों के समस्त आवश्यक व्यवस्थ सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पाठ्यक्रमिक संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु प्रयोगशाला सामग्रियों के समस्त उपलब्ध करा - ये मशिनेरी, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्तों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था स सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य खाद-सरकार एप्लाइड/पैरामेडिकल/ पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809 दिनांक: 09/08/202

प्रतिलिपि-
प्रधानाचार्य/निदेशक, VARUNARJUN COLLEGE OF PHARMACY, BANTHRA, BHAHJHANPUR

Scanned with CamScanner